

No. A-50013/292/2021-E-II-MOWR
 भारत सरकार
Government of India
 जल शक्ति मंत्रालय
Ministry of Jal Shakti
 जल संसाधन नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग
Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation

Shram Shakti Bhawan, Rafi Marg,
New Delhi, date 06-07-2026

To

All Ministries/ Departments of Government of India
 All State Governments/ Union Territories/
 All Universities / Public Sector Undertakings / Recognized Research institutions
 /Semi- Government/Autonomous / Statutory organisations
 All attached/subordinate offices/ Autonomous bodies/ Public Sector Undertakings
 under Department of Water Resources, River Development&Ganga Rejuvenation
 The Chief Secretary to all State Governments/ Union Territories

Subject : Filling of the post of Chief Administrative Officer, CWPRS, Pune – reg.

Sir,

I am directed to say that it is proposed to fill up one post of **Chief Administrative Officer** in the Central Water and Power Research Station, Pune in Pay Band 3, Rs.15,600-39,100 + Grade Pay of Rs. 6600, General Central service, Group 'A', Gazetted, Ministerial by **Promotion/deputation (including short- term contract)/ absorption** amongst the officers of Central / State Governments / Union Territories / Universities / Public Sector Undertakings / Recognized Research institutions / Semi Government /Autonomous / statutory organizations or departmental candidates as mentioned below :

a. (i) holding analogous post on a regular basis in the parent cadre or Department; or

(ii) with five years regular service in grade in Pay Band 3, Rs. 15600-39100 plus grade pay of Rs. 5400 or equivalent in the parent cadre or department;

or

(iii) with seven years regular service in the grade in pay band 2, Rs. 9300-34800 plus grade pay of Rs. 4600 or equivalent in the parent cadre or department;

and

b. having five years experience in administrative and establishment matters

2. The Departmental Administrative Officer in Pay Band-2 Rs. 9300—34800 plus

Grade Pay of Rs. 4600 with seven years regular service in the grade shall also be considered along with outsiders and in case he is selected for appointment to the post, the same shall be deemed to have been filled by promotion

Note 1.—Only Officers from Central Government/State Government/ Union Territory are eligible for being considered for appointment by absorption.

Note 2.—The departmental officers in the feeder category who is in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment by deputation and similarly the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

Note 3.—Period of deputation (including short term contract) including period of deputation (including short term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years.

Note 4.—The maximum age limit for appointment by deputation (including short term contract) shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.

Note 5.—For the purpose of appointment on promotion/ deputation (including short term contract)/absorption basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the recommendations of Sixth Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding Grade Pay or Pay Scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common Grade Pay or Pay Scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that Grade Pay or Pay Scale is the normal replacement Grade without any upgradation.

NOTE: The crucial date of determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland Tripura, Sikkim, Ladakh, Lahaul & Spiti district and Pangi Sub Division of Chamba District of Himachal Pradesh, (Andaman & Nicobar Islands or Lakshadweep) or abroad).

3. The terms and conditions of the deputation would be the same as prescribed by the Department of Personnel & Training vide their O M No.2/29/91-Estt. (Pay II) dated 05.01.1994 as amended from time to time.

4. Interested and eligible officers may send their applications (in triplicate) in the prescribed proforma (Annexure-'A') to the Under Secretary (E-II), Ministry of Jal Shakti, Department of Water Resources, RD & GR, Room No.435 A, Shram Shakti Bhavan, Rafi Marg, New Delhi-110001, through proper channel, **within 60 days from the date of issue of this advertisement**. In addition to this, applicants may also send the application through e- mail at use2-mowr@nic.in, etwo-mowr@nic.in. The closing date of receipt of applications from candidates from Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Sikkim, Laddakh, Lahaul & Spiti District and Pangi Sub Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman & Nicobar Islands or Lakshadweep or abroad will be 67 days from the date of publication of advertisement. While forwarding the applications, along with attested photocopies of ACRs for the last five years, Integrity certificate and No Penalty Certificate during the last ten years in respect of the officers, the Cadre/Administrative Authority should certify that the particulars furnished by the officers are correct and that no vigilance/disciplinary case is pending against the officer(s). Applications received after the last date or without copies of APARs/ACRs/Integrity Certificate/No Penalty Certificate/Vigilance Clearance Certificate or otherwise found incomplete will not be considered. The candidates

who apply for the post will not be allowed to withdraw their candidature subsequently.

Encl. : proforma

Yours faithfully,

(Sweta)
Under Secretary to the Government of India
Tel. : 20818754

Copy to :

1. PPS to Secretary/PPS to AS D/o WR, RD & GR
2. Administration Section for internal circulation in the Ministry
3. Director, CWPRS, Pune
4. NIC Cell, D/o WR, RD & GR – for uploading on the Ministry's website

Annexure-A

PROFORMA

1.	Name and Address (in Block Letters)			
2.	Date of Birth (in Christian era)			
3.	i. Date of entry into Govt. service ii. Date of retirement under Central/State Government Rules			
4.	Educational Qualifications			
5.	Whether Educational and other qualifications required for the post are satisfied, (if any qualification has been treated as equivalent to the one prescribed in the Rules, state the authority for the same)			
	Qualifications/experience required as mentioned in the advertisement/ vacancy circular		Qualifications/ experience possessed by the officer	
	Essential		Essential	
	Qualification		Qualification	
	Experience		Experience	
	Desirable		Desirable	
	Qualification		Qualification	
	Experience		Experience	
5.1	Note : This column needs to be amplified to indicate essential and desirable qualifications as mentioned in the RRs by the Administrative Ministry/ Department/ office at the time issue of circular and issue of advertisement in the Employment News.			
5.2	In the case of Degree and Post Graduate Qualifications Elective/main subjects and subsidiary subjects may be indicated by the candidate.			
6.	Please state clearly whether in the light of entries made by you above, you meet the requirement of the post			
6.1	Note : Borrowing Departments are to provide their specific comments/views confirming the relevant Essential Qualification/ work experience possessed by the candidate (as indicated in the Bio-data) with reference to the post applied			
7.	Details of Employment, in chronological order. Enclose a separate sheet duly authenticated by your signature, if the space below is insufficient			
	Office/	Post held	From	To
				Scale of
				Nature

	Institution				Pay and Basic Pay	of duties (in detail)								
	Pay in the cell and Level of pay matrix granted under ACP/MACP is personal to the officer and therefore, should not be mentioned. Only level in pay matrix of the post held on regular basis to be mentioned. Details of ACP/MACP with present level in the pay matrix where such benefits have been drawn by the candidate, may be indicated as below: <table border="1"> <tr> <td>Office/institution</td> <td>Level and pay in pay matrix under ACP/MACP scheme</td> <td>From</td> <td>To</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>						Office/institution	Level and pay in pay matrix under ACP/MACP scheme	From	To				
Office/institution	Level and pay in pay matrix under ACP/MACP scheme	From	To											
8.	Nature of present employment i.e. Ad-hoc or Temporary or Quasi-Permanent or Permanent													
9.	In case the present employment is held on deputation/contract basis, please state:- (a) The date of initial appointment (b) Period of appointment on deputation/contract (c) Name of the parent office/organization to which you belong (d) Name of the post and pay of the post held in substantive capacity in the parent organization													
9.1	Note: In case of officers already on deputation, the applications of such officers should be forwarded by the parent cadre/ Department along with cadre clearance, vigilance clearance and integrity Certificate													
9.2	Note: information under column 9(c) & (d) above must be given in all cases where a person is holding a post on deputation outside the cadre/organization but still maintaining a lien in his parent cadre/organization													
10.	If any post held on deputation in the past by applicant, date of return from the last deputation and other details													
11.	Additional details about present													

	employment. Please state whether working under (indicate the name of your employer against the relevant column) (a) Central Government, (b) State Government (c) Autonomous Organization (d) Government Undertaking (e) Universities (f) Others	
--	--	--

12.	Please state whether you are working in the same Department and are in the feeder grade or feeder to feeder grade			
13.	Are you in Revised Scale of Pay? If yes, give the date from which the revision took place and also indicate the pre-revised scale			
14.	Total emoluments per month now drawn			
	Level in pay matrix	Pay drawn	Total emoluments	
15.	In case the applicant belong to an organization which is not following the Central Government pay scales, the latest salary slip issued by the organisation showing the following details may be enclosed			
	Pay in the pay matrix and rate of increment	Dearness pay/interim relief/ other allowances etc. (with breakup details)	Total emoluments	
16.	Additional information, if any, which you would like to mention in support of your suitability for the post. (This among other things may provide information with regard to (i) additional academic qualifications (ii) professional training and (iii) work experience over and above prescribed in the Vacancy Circular/Advertisement) (Note: Enclose a separate sheet, if the space is insufficient).			

	Achievements : The candidates are requested to indicate information with regard to:- (i) Research publications and reports and special projects (ii) Awards/Scholarship/Official appreciation (iii) Affiliation with the professional bodies/ institutions/societies and (iv) Patents registered in own name or achieved the organization (v) any other information. (Note: Enclose a separate sheet, if the space is insufficient,)	
17.	Please state whether you are applying for deputation (ISTC)/ Absorption/ re-employment Basis. (Officers under Central/ State Governments are only eligible for Absorption.	
18.	Whether belongs to SC/ST	

I have carefully gone through the vacancy circular/advertisement and I am well aware that the Curriculum Vitae duly supported by documents submitted by me will also be assessed by the Selection Committee at the time of selection for the post. The information/details provided by me are correct and true to the best of my knowledge and no material fact having a bearing on my selection has been suppressed/ withheld.

Signature of the
Candidate

Address-----

Date_____

Certification by the Employer/Cadre Controlling Authority

The information/details provided in the above application by the applicant are true and correct as per the facts available in the records. He/She possesses the academic qualifications and experience mentioned in the vacancy circular. If selected, he/she will be relieved immediately.

2. Also certified that;

(i) There is no vigilance or disciplinary case pending/contemplated against Shri/Smt.
.....

(ii) His/her integrity is certified.

(iii) His/Her CR dossier in original is enclosed/photocopies of the ACR5 for the last 5 years duly attested by an officer of the rank of Under Secretary of the Government of India or above are enclosed.

(iv). No major/minor penalty has been imposed on him/her during the last 10 years or a list of major/minor penalties imposed on him/her during the last 10 years is enclosed. (as the case may be)

Countersigned

(Employer/cadre control authority with seal)

No. A-50013/292/2021-E-II-MOWR

भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
जल संसाधन नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग,
नई दिल्ली, तारीख 06-07-2026

सेवा में,

विभाग/भारत सरकार के सभी मंत्रालय

सभी राज्य सरकार/संघ शासित प्रदेश/विश्वविद्यालय

जल शक्ति विभाग के अंतर्गत सभी संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालय/स्वायत्त निकाय/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम

सभी राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों के मुख्य सचिव

विषय : मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, केंद्रीय जल एवं विद्युत अनुसंधान स्टेशन, पुणे के पद को भरने के संबंध में।

महोदया / महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान शाला, पुणे में मुख्य प्रशासन अधिकारी, साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "क", राजपत्रित, अनुसचिवीय स्तर का एक पद वेतन बैंड -3 रु. 15600-39100 + ग्रेड वेतन रु. 6600/- में पदोन्नति /प्रतिनियुक्ति (अल्पावधि अनुबंध)/आमेलन के द्वारा भरा जाना आवश्यक है :

1. केन्द्रीय सरकार / राज्य सरकार/ संघ राज्य क्षेत्रों / विश्वविद्यालयों / पब्लिक सेक्टर उपक्रमों / मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थाओं / अर्द्ध-सरकारी/ स्वशासी/ कानूनी – संगठनों के ऐसे अधिकारी:-

7. (i) जो मूल काडर या विभाग में, नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं ; या

(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड – 3, रु. 15600-39100 और ग्रेड वेतन 5400 रु. या समतुल्य में, उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की है ;

या

(iii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड – 2, रु. 9300-34800 और ग्रेड वेतन 4600 रु. या समतुल्य में, उस श्रेणी में सात वर्ष नियमित सेवा की है ;

और

(ख) प्रशासनिक तथा स्थापन के मामलों में पांच वर्ष का अनुभव रखता हो ।

2. विभागीय प्रशासनिक अधिकारी, जिसने वेतन बैंड- 2 रु.9300-34800 ग्रेड वेतन 4600/- में नियमित 7 वर्ष की सेवा की है, उन्हें बाहरी व्यक्तियों के साथ विचार किया जाएगा, अगर वह चयनित होता है, यह पदोन्नति के रूप में माना जाएगा।

टिप्पण 1 : केवल केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र के अधिकारी ही आमेलन द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र होंगे।

टिप्पण 2: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे और इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति, प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 4: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 5: प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) / आमेलन के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए, 01.01.2016 से पहले के अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर प्रदान की गई सेवा (7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर संशोधित वेतन संरचना को बढ़ाया गया है) पर विचार किया जाएगा। वेतन आयोग की सिफारिश के आधार पर वेतन मैट्रिक्स या वेतनमान में इसी वेतन स्तर में प्रदान की जाने वाली सेवा को छोड़कर, जहां एक ग्रेड में एक सामान्य ग्रेड वेतन या वेतन के साथ एक से अधिक पूर्व-संशोधित वेतन का विलय हुआ है और जहां यह लाभ केवल पदों के लिए विस्तारित होगा, जिसके लिए पे मैट्रिक्स का वेतन स्तर या वेतनमान बिना किसी उन्नयन के सामान्य प्रतिस्थापन ग्रेड है।

3. प्रतिनियुक्ति की नियम और शर्तें कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा उनके कार्यालय ज्ञापन संख्या: 2/29/91-स्था (वेतन-II) दिनांक 05.01.1994 (समय समय पर यथा संशोधित)में निर्धारित प्रावधानों जैसी होगी।

4. इच्छुक और पात्र अधिकारी, अपने आवेदन पत्र (तीन प्रतियों में) निर्धारित प्रपत्र अनुलग्नक "क" उचित माध्यम द्वारा प्रकाशित होने की तिथि से 60 दिनों के भीतर, अवर सचिव, (स्था. II), जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, कमरा संख्या 435 A, श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली-110 001 को भेज सकते हैं। इसके अतिरिक्त आवेदक ई-मेल use2-mowr@nic.in, etwo-mowr@nic.in के माध्यम से भी आवेदन भेज सकते हैं। असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर राज्य, लाहौल एवं स्पीति जिले और हिमाचल प्रदेश, अंडमान के चंबा जिले के पांगी उप प्रभाग के लद्दाख डिवीजन, निकोबार द्वीप समूह या लक्षद्वीप या विदेश से उम्मीदवारों के आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि विज्ञापन के प्रकाशन की तारीख से 67 दिनों के भीतर होना चाहिए। आवेदन पत्र भेजते समय, पिछले पांच साल की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट के साथ अधिकारियों के संबंध में पिछले दस वर्षों के दौरान सत्यनिष्ठा प्रमाण पत्र और कोई दंड प्रमाणपत्र के साथ कैडर/प्रशासनिक अधिकारी को यह भी प्रमाणित करना चाहिए कि अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत ब्यौरा सही है और कोई भी

सतर्कता/अनुशासनात्मक मामले अधिकारी के खिलाफ लंबित नहीं हैं। आवेदन पत्र की अंतिम तिथि के बाद या वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट/सत्यनिष्ठा प्रमाण पत्र/कोई दंड प्रमाणपत्र/सतर्कता निकासी प्रमाण पत्र की प्रतियां बिना प्राप्त अन्यथा अधूरा पाया गया तो उस पर विचार नहीं किया जाएगा। परिणामस्वरूप, इस पद के लिए उम्मीदवार द्वारा आवेदन किए जाने के पश्चात उम्मीदवारी को वापिस नहीं लिया जा सकता।

संलग्न: प्रोफार्मा

भवदीय

(श्वेता)

अवर सचिव

दूरभाष: 20818754

प्रतिलिपि:

1. सचिव के प्रधान निजी सचिव/अपर सचिव के प्रधान निजी सचिव, जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग
2. प्रशासन अनुभाग, मंत्रालय में आंतरिक संचलन के लिए
3. निदेशक, केंद्रीय जल एवं विद्युत अनुसंधान स्टेशन, पुणे
4. एनआईसी सेल, जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग – मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए

अनुलग्नक 'क'

जीवन वृत्त प्रपत्र

1.	नाम एवं पता (स्पष्ट अक्षरों में)	
2.	जन्म तिथि (ईस्वी सन में)	
3.	7. सरकारी सेवा में प्रवेश की तिथि 8. केन्द्र / राज्य सरकार के नियमानुसार सेवानिवृत्ति की तारीख	
4.	शैक्षणिक योग्यताएं	
5.	क्या इस पद के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य योग्यताएं पूर्ण हैं (यदि कोई योग्यता नियमों के अधीन योग्यता के समतुल्य मानी गई हो तो उसके प्राधिकारी का नाम बताएं)	
	विज्ञापन/रिक्तियों के परिपत्र में उल्लिखित योग्यता/अनुभव आवश्यक है	अधिकारी की योग्यता/अनुभव
	आवश्यक	आवश्यक
	योग्यता	योग्यता
	अनुभव	अनुभव
	वांछित	वांछित
	योग्यता	योग्यता
	अनुभव	अनुभव
	5.1 नोट: इस कॉलम को विस्तृत रूप से दर्शाने की आवश्यकता है , ताकि प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग/कार्यालय द्वारा परिपत्र जारी करने तथा रोजगार समाचार में विज्ञापन जारी करने के समय आर.आर. में उल्लिखित आवश्यक और वांछनीय योग्यताएं दर्शाई जा सकें। 5.2 डिग्री और स्नातकोत्तर योग्यता के मामले में, अभ्यर्थी द्वारा वैकल्पिक/मुख्य विषय और सहायक विषय दर्शाए जा सकते हैं।	

6.	कृपया बताएं कि आपके द्वारा ऊपर की गई प्रविष्टियों को ध्यान में रखते हुए क्या आप इस पद के लिए अपेक्षित योग्यताएं रखते हैं													
6.1	नोट: सेवायें लेने वाले विभागों को उम्मीदवार द्वारा प्राप्त प्रासंगिक आवश्यक योग्यता/कार्य अनुभव (जैसा कि बायोडाटा में दर्शाया गया है) की पुष्टि करते हुए आवेदित पद के संदर्भ में अपनी विशिष्ट टिप्पणियां/विचार प्रदान करने होंगे।													
7.	कालक्रमानुसार नियुक्तियों का ब्यौरा, यदि नीचे दिया गया स्थान अपर्याप्त हो तो कृपया विधिवत हस्ताक्षर से प्रमाणित एक अलग शीट संलग्न करें।													
	कार्यालय / संस्थान	धारित पद	से	तक	वेतनमान व मूल वेतन	कार्य का स्वरूप (विस्तार से)								
	एसीपी/एमएसीपी के तहत दिए गए वेतन मैट्रिक्स के सेल और स्तर में वेतन अधिकारी का व्यक्तिगत मामला है और इसलिए इसका उल्लेख नहीं किया जाना चाहिए। नियमित आधार पर पद के वेतन मैट्रिक्स में केवल स्तर का उल्लेख किया जाना चाहिए। एसीपी/एमएसीपी का विवरण वेतन मैट्रिक्स में वर्तमान स्तर के साथ जहां उम्मीदवार द्वारा ऐसे लाभ प्राप्त किए गए हैं, नीचे दिए गए अनुसार दर्शाया जा सकता है: <table border="1"> <tr> <td>कार्यालय/संस्था</td> <td>एसीपी/एमएसीपी योजना के अंतर्गत वेतन मैट्रिक्स में स्तर और वेतन</td> <td>से</td> <td>को</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>						कार्यालय/संस्था	एसीपी/एमएसीपी योजना के अंतर्गत वेतन मैट्रिक्स में स्तर और वेतन	से	को				
कार्यालय/संस्था	एसीपी/एमएसीपी योजना के अंतर्गत वेतन मैट्रिक्स में स्तर और वेतन	से	को											
8.	वर्तमान नियुक्ति का स्वरूप अर्थात् तदर्थ, अथवा अस्थायी अथवा स्थायीवत अथवा स्थायी													
9.	कृपया बताएं यदि वर्तमान नौकरी प्रतिनियुक्ति/ अनुबंध पर हो तो													
	(क) प्रारंभिक नियुक्ति की तिथि (ख) प्रतिनियुक्ति/अनुबंध पर नियुक्ति की अवधि (ग) मूल कार्यालय / संगठन का नाम, जिससे आप संबंधित हैं													
	नोट: यदि अधिकारी पहले से ही प्रतिनियुक्ति पर हैं, तो ऐसे अधिकारियों के आवेदन मूल संवर्ग/विभाग द्वारा संवर्ग मंजूरी, सतर्कता मंजूरी और सत्यनिष्ठा प्रमाण पत्र के साथ अग्रेषित किए जाने चाहिए। नोट: उपरोक्त कॉलम 9(सी) और (डी) के तहत जानकारी उन सभी मामलों में दी जानी चाहिए जहां कोई व्यक्ति संवर्ग/संगठन के बाहर प्रतिनियुक्ति पर पद धारण कर रहा है, लेकिन अभी भी अपने मूल संवर्ग/संगठन में ग्रहणाधिकार बनाए हुए है।													
10.	यदि आवेदक द्वारा पूर्व में प्रतिनियुक्ति पर कोई पद धारण किया गया है, तो अंतिम प्रतिनियुक्ति से लौटने की तिथि और अन्य विवरण													

11.	वर्तमान नियुक्ति से संबंधित अतिरिक्त विवरण, कृपया बताएं कि आप निम्नलिखित में से किस में कार्यरत हैं : (क) केंद्र सरकार (ख) राज्य सरकार (ग) स्वायत्त संगठन (घ) सरकारी उपक्रम (ड) विश्वविद्यालय (च) अन्य		
12.	कृपया बताएं कि क्या आप उसी विभाग में कार्यरत हैं तथा फीडर ग्रेड अथवा फीडर से फीडर ग्रेड में हैं		
13.	क्या आप संशोधित वेतनमान में हैं ? यदि हां तो तारीख बताएं कि कब से संशोधन हुआ और संशोधन पूर्व वेतनमान का भी उल्लेख करें ।		
14.	प्रतिमाह ली जाने वाली कुल परिलब्धियां		
	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	वेतन आहरित	कुल मेहनताना
15.	यदि आवेदक किसी ऐसे संगठन से संबंधित है जो केन्द्रीय सरकार के वेतनमान का पालन नहीं करता है, तो संगठन द्वारा जारी नवीनतम वेतन पर्ची, जिसमें निम्नलिखित विवरण दर्शाया गया हो, संलग्न की जा सकती है:		
	वेतन मैट्रिक्स में वेतन और वेतन वृद्धि की दर	महंगाई वेतन/अंतरिम राहत/अन्य भत्ते आदि (विवरण सहित)	कुल परिलब्धियां
16.	अतिरिक्त सूचना, यदि कोई हो, जिसका आप इस पद के लिए अपनी उपयुक्तता के समर्थन में उल्लेख करना चाहें, (इनमें से कुछ अन्य विषयों पर सूचना उपलब्ध कराई जा सकती है (i) अतिरिक्त शैक्षिक योग्यता (ii) व्यावसायिक प्रशिक्षण एवं (iii) रिक्रि परिपत्र /विज्ञापन में निर्धारित के अलावा कार्य अनुभव		

	(टिप्पणी: यदि स्थान अपर्याप्त हो तो पृथक शीट संलग्न करें)	
17.	कृपया बताएं कि आप प्रतिनियुक्ति (आईएसटीसी) आमेहन/पुर्नियुक्ति आधार पर आवेदन कर रहे हैं ? (केवल केंद्र/राज्य सरकारों में कार्यरत अधिकारी ही "आमेहन" के लिए पात्र होंगे, गैर सरकारी संगठनों के उम्मीदवार केवल लघु अवधि अनुबंध के पात्र हैं)	
18.	क्या आप अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंधित हैं	
19.	टिप्पणियाँ: (उम्मीदवारों को निम्नलिखित से संबंधित सूचना देनी होगी कि क्या उनकी कोई i. अनुसंधान पत्र, रिपोर्ट अथवा विशेष परियोजना प्रकाशित हुई है, ii. पुरस्कार/अध्येतावृत्ति /अधिकारिक प्रशंसा iii. व्यावसायिक इकाई/संस्थानों/संस्थाओं से मान्यता तथा (iv) अन्य कोई सूचना (टिप्पणी : यदि स्थान पर्याप्त नहीं है तो एक शीट अलग से संलग्न की जा सकती है)	

मैंने उपर्युक्त पद के लिए दिए गए रिक्ति परिपत्र/विज्ञापन को ध्यानपूर्वक देख लिया है और मुझे इस बात की पूरी जानकारी है कि मेरे द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रलेखों द्वारा विधिवत रूप से समर्थित जीवनवृत्त का मूल्यांकन पद के चयन के समय चयन समिति द्वारा भी किया जाएगा ।

दिनांक -----

उम्मीदवार के हस्ताक्षर

पता :-----

नियोक्ता/संवर्ग नियंत्रण प्राधिकरण द्वारा प्रमाणन

आवेदक द्वारा उपरोक्त आवेदन में दी गई जानकारी/विवरण अभिलेखों में उपलब्ध तथ्यों के अनुसार सत्य एवं सही है। उसके पास रिक्ति परिपत्र में उल्लिखित शैक्षणिक योग्यताएं एवं अनुभव है। यदि उसका चयन हो जाता है, तो उसे तत्काल कार्यमुक्त कर दिया जाएगा।

2. यह भी प्रमाणित किया जाता है कि;

(i) श्री/श्रीमती के विरुद्ध कोई सतर्कता या अनुशासनात्मक मामला लंबित/विचाराधीन नहीं है।

(ii) उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित है।

(iii) उसका पिछले 5 वर्षों का सीआर डोजियर मूल रूप में संलग्न है/भारत सरकार के अवर सचिव या उससे ऊपर के पद के अधिकारी द्वारा विधिवत सत्यापित एसीआर5 की फोटोकॉपी संलग्न है।

(iv) पिछले 10 वर्षों के दौरान उस पर कोई बड़ा/छोटा दंड नहीं लगाया गया है अथवा पिछले 10 वर्षों के दौरान उस पर

लगाए गए बड़े/छोटे दंडों की सूची संलग्न है। (जैसा भी मामला हो)

प्रतिहस्ताक्षरित
(नियोक्ता/संवर्ग नियंत्रण प्राधिकरण मुहर सहित)